



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

(मानचित्र स्वीकृत-पत्र)

मानचित्र सं० : 01/पी0एम0ए0वाई0/2018-19

दिनांक : 24/3/18

श्री शोभिक गोयल,
निदेशक-मै0अतुल इन्फ्रास्टेट,
106, नेहरू नगर, आगरा।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 27.03.18 के सन्दर्भ में खसरा सं०-30, मौजा पथौली, आगरा (अपना आवास योजना) पर प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवासीय योजना मानचित्र सं०-01/पी0एम0ए0वाई0/2018-19 की उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 30.06.17 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

01. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
02. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे-नगर निगम, ए0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
03. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
04. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी, उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
05. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
06. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
07. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
08. यह मानचित्र उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी मान्य होगी।
09. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रैम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
10. सुपरवीज़न एवं स्पेसीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
11. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 05.06.2018 का पालन करना होगा।
12. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
13. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है। भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अंदर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
14. 300 वर्गमी० या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटॉप हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
15. 12.00 मी० से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था करनी होगी।
16. सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करना करनी होगी।
17. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने होंगे।

.....2

H. C. L.

19. मार्ग विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोड़ते हुये निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्ड्रीवाल का निर्माण रोड वाइडनिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
20. भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिन्हित कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
21. उक्त क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाह्य विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जायेंगे।
22. नाली, चक रोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
23. निर्माण का स्ट्रक्चरल सेफ्टी, गुणवत्ता, वर्कमैनशिप एवं निर्माण के समय सुरक्षा आदि का समस्त उत्तरदायित्व भू-स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।
24. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गई है, निरस्त की जा सकती है।
25. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हों, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप में भूल से इन नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
26. ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा-293 के अधीन पृथक् स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
27. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें, जहाँ पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार 30प्र0विद्युत परिषद् द्वारा न हटा दिये जायें।
28. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मद में जमा करायी गयी जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
29. भवन निर्माण उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15(3) के अन्तर्गत इस प्रतिबंध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक भू-स्वामित्व के लिए विधितः बाध्य नहीं है।
30. प्रस्तावित मानचित्र में बेसमेन्ट होने के कारण भू-स्वामी द्वारा जब तक जिलाधिकारी कार्यालय से मिट्टी खनन अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर ली जाती है तब तक बेसमेन्ट की खुदाई प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
31. अतिरिक्त शर्तें स्वीकृत मानचित्र पर चस्पा हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी।
32. क्रय योग्य एफ.ए.आर. हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 23.01.2015 के कार्यवृत्त में उल्लिखित समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
33. स्थल पर कराये जाने वाले निर्माण कार्य ऐसे श्रमिकों के माध्यम से कराया जायेगा जिनका पंजीयन श्रमविभाग में अवश्य हों।
34. निर्माण सामग्री अथवा मलबा को मैटल्ड रोड पर स्टोर नहीं किया जायेगा। मैटल्ड रोड से अलग निर्माण सामग्री को एकत्र करने हेतु स्थल का चिळांकन करना होगा। मा0राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा मूल प्रार्थना पत्र सं0-21/2014 (वर्धमान कौशिक बनाम सरकार) में दिये गये आदेशों का अनुपालन आवेदक को करना होगा।



35. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन-2010 के अनुसार आवेदक/भवन स्वामी निर्माण स्थल, सड़क, गली व कालोनी में स्थित निर्माण सामग्री को ढक्कर रखवायेगा तथा भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण ऐसे स्थान पर किया जाये कि वह उड़कर हवा में न फैले। आवेदक को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाइन-2010 में निहित समस्त निर्देशों का अक्षरानुपालन सुनिश्चित करना होगा।
36. भवन निर्माण सामग्री के आवागमन हेतु प्रयोग होने वाले ट्रकों व अन्य वाहनों को भी ढक कर लाया व ले जाया जायेगा तथा वाहनों से उतारने के बाद आवश्यक साफ-सफाई की जायेगी।
37. ऐसे कर्मचारी जो स्थल पर निर्माण कार्य कर रहे हैं अथवा निर्माण सामग्री को चढ़ाने व उतारने का कार्य करते हैं, विकासकर्ता द्वारा उन्हें मास्क उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि डस्ट उनके स्वास्थ्य में न जायें तथा ऐसे कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा व आवश्यक जांच व उपचार की उचित व्यवस्था किया जाना होगा।
38. पत्थर काटने व ग्राइण्डिंग का कार्य करते समय पर्यावरण में डस्ट पार्टिकल न उड़कर जायें, उसकी उचित व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित करवायी जायेगी तथा निर्माण स्थल पर हवा को रोकने के लिए दीवार आदि भी बनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।
39. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माणधीन स्थल पर मानचित्र का परिमट संख्या, स्वीकृति दिनांक, सम्पत्ति संख्या व नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
40. शासन द्वारा स्वीकृत सी0पी0आर0 साथ में सलग्न है। सी0पी0आर0 में अंकित शर्तों एवं मानचित्र के अनुसार निर्माण करना होगा।
41. विकासकर्ता को स्थल के मध्य स्थित चकरोड एवं नाली की भूमि को राजस्व अभिलेखों एवं स्थल के अनुसार यथावत् रखना होगा।
42. ईडब्लूएस इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता द्वारा परफार्मेंस गारन्टी के रूप में विकासकर्ता को शासन द्वारा प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के बराबर बैंक गारन्टी के साथ-साथ योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की 20 प्रतिशत विक्रय हेतु भूमि बन्धक रखी जाएगी, जिसकी वैधता अवधि न्यूनतम 20 माह होगी।
43. विकासकर्ता विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक/गिरवी रखी गयी भूमि पर विकास एवं निर्माण कर सकेगा, परन्तु उनका विक्रय तक तक नहीं कर सकेगा, जब तक कि ईडब्लूएस आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण नहीं कर दिया जाता है।
44. ईडब्लूएस भवन का निर्माण न किये जाने की स्थिति में बैंक गारन्टी तथा बन्धक रखी गयी भूमि व उस पर निर्मित सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाएगा।
45. विकासकर्ता द्वारा योजना के अन्तर्गत ईडब्लूएस भवनों का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शासकीय अभिकरण द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को हस्तान्तरित करने के उपरान्त ही सक्षम अधिकारी द्वारा टी.डी.आर. प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा।
46. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों का प्लिन्थ तक निर्माण पूर्ण हो जाने पर स्थल का जी0पी0एस0 कोऑर्डिनेट्स, तिथि एवं समय के साथ डिजिटल फोटोग्राफ्स प्राधिकरण में प्रस्तुत करने होंगे। इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि मौके पर फोटोग्राफ्स के अनुसार निर्माण किया गया है और यदि यह पाया जाता है कि स्वीकृत मानचित्र से इतर निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें सैट बैंक परिवर्तित हुए हैं, तो ऐसे निर्माण को सील कर दिये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।
47. योजना का क्रियान्वन रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीकरण की तिथि से प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा तथा ईडब्लूएस श्रेणी के भवनों का निर्माण (स्थल विकास सहित) 24 माह में पूर्ण करना होगा।

Hclan

48. योजना के समस्त आंतरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्वयं क्रियान्वित किये जाएंगे।
 49. 24 माह में निर्माण पूर्ण न करने की स्थिति में ई0डब्लू0एस0 योजना की लागत की 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन (अधिकतम 60 दिन तक) की दर से पेनल्टी देय होगी। 60 दिन की अवधि में पश्चात् बैंक गारन्टी तथा बन्धक रखी गयी भूमि के जब्तीकरण की कार्य की जाएगी।
 50. योजना के सम्बन्ध में समस्त विधिक एवं नियमानुसार वांछित अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा पर्यावरणीय स्वीकृति आदि विकासकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वयं प्राप्त किए जाएंगे।
 51. विकासकर्ता को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि योजना के अन्तर्गत निर्मित ईडब्लूएस इकाईयों का निर्माण कर उन्हें चिन्हित लाभार्थियों को निर्धारित समय में हस्तान्तरित किया जाएगा।
 52. रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेन्ट एक्ट) 2016 तथा तदधीन बनाये गये नियमों का पालन करना होगा।
 53. विकासकर्ता द्वारा योजना के विकास/निर्माण कार्य पूर्ण किये बिना भूमि अथवा उसके किसी भू-भाग का हस्तान्तरण/सब-लीजिंग अनुमन्य नहीं होगी। उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता को प्रदत्त समस्त रियायतें/इन्सेन्टिव वापस ले लिये जायेंगे।
 54. भवन का उपयोग पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
 55. स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा। भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) दिनांक 03.02.01, 772/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-1-भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) दिनांक 20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- (क) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हे भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, अनुबन्धित किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएँ करने के लिए जो डिजाईन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
- (ख) भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रेट, ईटें, कोस्र सैन्ड एवं मार्टर तथा कंकरीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।
- (ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रुकवाते हुए निर्माण का को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमीनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तदानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

AKLan

- (घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट x 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता का नाम, आर्कीटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लेखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे।
- (i) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त प्रति
 - (ii) अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी विशिष्टियां
 - (iii) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु सरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।
 - (iv) अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिनमे सेक्शन, एलीवेशन तथा सर्विसेस डिटेल शामिल हो।
 - (v) भवन निर्माण हेतु आवश्यक टी0 एण्ड पी0 का विवरण।
 - (vi) साईट इंजीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।
 - (vii) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।
56. स्थल पर 50 वृक्ष प्रति हेक्टेयर से रोपित करने होंगे।
57. फायर विभाग द्वारा जारी अनापत्ति का पालन करना होगा एवं फायर विभाग द्वारा पूर्णता सम्बन्धी अनापत्ति प्राप्त करने के बाद ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
58. रेनवाटर हार्डस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
59. रोड वाइनिंग से प्रभावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा यह भूमि निशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।
60. 10 प्रतिशत पार्क जनसामान्य हेतु खुला रखना होगा।
61. विकासकर्ता द्वारा सर्विस प्लान के अनुसार सड़क, सीवर, ड्रेनेज, पीने के पानी की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था आदि सुनिश्चित करनी होगी।
62. भू-गर्भ जल प्रयोग किये जाने पर सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
63. कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
64. विकलांग व्यक्तियों हेतु नियमानुसार रेम्प का निर्माण करना होगा।
65. विद्युत व्यवस्था स्वयं के संसधानों से करनी होगी।
66. दर्शाये गये स्थल पर ही पार्किंग करनी होगी। सड़क का सर्कूलेशन एरिया खाली रखना होगा।
67. मानचित्र स्वीकृति से भू-स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा। भू-स्वामित्व सम्बन्धी विवाद होने पर दी गयी स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।
68. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किसी शुल्क की मांगी की जाती है तो उसे जमा कराना होगा।
69. निर्माण के समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
70. अपार्टमेन्ट एक्ट-2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
71. महायोजना मार्ग निर्माण के समय एलाइनमेन्ट में कोई परिवर्तन होता है तो तदानुसार भूमि उपलब्ध करानी होगी।
72. मा0राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में समय-समय पर पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा जिससे वायु प्रदूषण की रोकथा हो सके।
73. निर्माण कार्य भवन उपविधि में निर्धारित योग्यता रखने वाले दक्ष अभियन्ता तथा वास्तुविद् की देखरेख में कराना होगा, ताकि भवन की सरचनात्मक सुरक्षा तथा भूकम्परोधी व्यवस्था उनके द्वारा सुनिश्चित की जाये।
74. निर्माण सामग्री अथवा मलबा को मैटलड रोड पर स्टोर नहीं किया जायेगा। मैटलड रोड से अलग निर्माण सामग्री को एकत्रित करने हेतु स्थल पर चिन्हांकन करना होगा।

Handwritten signature

75. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन-2010 के अनुसार आवेदक/भवन स्वामी निर्माण स्थल, सड़क, गली व कालोनी में स्थित निर्माण सामग्री को ढक्कर रखवायेगा तथा भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण ऐसे स्थान पर किया जाये कि वह उड़कर हवा में न फैले। आवेदक को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाइन-2010 में निहित समस्त निर्देशों का अक्षरानुवर्तन सुनिश्चित करना होगा।
76. भवन निर्माण सामग्री के आवागमन हेतु प्रयोग होने वाले ट्रकों व अन्य वाहनों को भी ढक्कर लाया व ले जाया जायेगा तथा वाहनों से उतारने के बाद आवश्यक साफ-सफाई की जायेगी।
77. ऐसे कर्मचारी जो स्थल पर निर्माण कार्य कर रहे हैं अथवा निर्माण सामग्री को चढ़ाने व उतारने का कार्य करते हैं, विकासकर्ता द्वारा उन्हें मास्क उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि डस्ट उनके स्वास्थ्य में न जायें तथा ऐसे कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा व आवश्यक जांच व उपचार की उचित व्यवस्था किया जाना होगा। पत्थर काटने व ग्राइण्डिंग का कार्य करते समय पर्यावरण में डस्ट पार्टिकल न उड़कर जायें, उसकी उचित व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित करवायी जायेगी तथा निर्माण स्थल पर हवा को रोकने के लिए दीवार आदि भी बनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।
78. नियमानुसार रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टाइक पॉवर प्लान्ट की स्थापना 25 प्रतिशत रूफ टॉप एरिया पर अनिवार्य रूप से करनी होगी।
79. स्थल पर निर्माण के समय लेबर हेतु जनसुविधाओं का प्राविधान करना होगा।
80. पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।
81. नियमानुसार रैरा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

संलग्नक : 1- एक सेट स्वीकृत मानचित्र।

2- शर्तों की प्रति जो कि मानचित्र पर भी चस्पा है।

Hd
36/07/18
अधिशाली अभियन्ता (भवन),
आ0वि0प्रा0, आगरा।

प्रतिलिपि :

प्रवर्तन खण्ड, आ0वि0प्रा0, आगरा को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिशाली अभियन्ता (भवन),
आ0वि0प्रा0, आगरा।